भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **239**
उत्तर देने की तारीख 24.06.2019

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जनजातीय कल्याण योजनाएं

239. श्री दिलीप साईकियाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में जनजातीय कल्याण योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए नई योजनाएं आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार उक्त राज्यों के लिए रोजगार कार्यक्रम आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्धरित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) : सरकार ने पूरे देश में रह रहे जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, कौशल विकास, आजीविका आदि शामिल हैं। देश में जनजातीय क्षेत्रों/अंचलों में अवसंरचना विकास का अधिकांश भाग तथा आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय संवेदनशील अंतरों को भरने के लिए इन पहलों के लिए अपना योगदान प्रदान करता है| मंत्रालय की स्कीमे/कार्यक्रम असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समान रूप से कार्यान्वित की जाती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों तथा असम सहित मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों की सूची **अनुलग्नक-।** तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर सहित जारी की गई निधियों के ब्यौरे **अनुलग्नक-।।** में प्रस्तुत है।

(ख) से (घ) : वर्ष 2018-19 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय में दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक मिडिल तथा उच्च विद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की एक अलग योजना आरम्भ की थी। इससे पूर्व में यह 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान' का एक घटक था। सरकार की मौजूदा मंजूरी के अनुसार, 50% से अधिक अजजा जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश भर में , 50% से अधिक अजजा जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले 564 उप-जिले अर्थात ब्लॉक / तालुका / तहसीलें हैं। दिसम्बर , 2018 में सरकार द्वारा ईएमआरएस के लिए एक अलग स्कीम मंजूरी की गई थी। इस स्कीम के प्रारंभ में उपर्युक्त उप-जिलों में से 102 उप-जिलों में ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे। शेष उप-जिलों में वर्ष 2022 तक उपर्युक्त अनुसार नए ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास की स्कीम में एमएफपी की खरीद सहित , जब बाजार मूल्य उनके अधिसूचित एमएसपी से कम हो जाता है , भंडारण सुविधाओं की स्थापना/विस्तार , एमएफपी पर आधारित ज्ञान का विस्तार , सतत संग्रहण के लिए प्रशिक्षण , मूल्य संवर्धन आदि की स्थिति में विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं। ज्ञान के स्रोत का विस्तार, सतत संग्रहण के लिए प्रशिक्षण , मूल्य संवर्धन आदि सहित कार्यकलाप जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से किये जाते हैं तथा इन कार्यकलापों पर होने वाला 100 % खर्च केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जहां इस मामले पर एक अलग स्कीम/नीति लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है , वहीं जनजातीय कार्य मंत्रालय, वन

धन विकास कार्यक्रम के रूप में 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास ' की वर्तमान स्कीम के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों को ब्रांड करने की अपेक्षा रखता है। वन धन विकास कार्यक्रम 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास ' की स्कीम के मूल्य-श्रृंखला घटकों का एक प्रशिक्षण तथा विकास है।

अधिकतर स्कीमें/कार्यकलाप मांग आधारित हैं और रोजगार सह-आय सृजन सहित विभिन्न क्षेत्रों को वित्त पोषण प्रदान करती हैं तथा इसमे जनजातीय सहकारी समितियों , एसएचजी तथा व्यक्तिगत उद्यमियों के प्रशिक्षण, पारंपरिक जनजातीय संस्कृति क्षेत्रों जैसे जनजातीय आभूषण , चित्रकला, नृत्य शैली , संगीत तथा पाक कला , ग्राम पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन आदि में बढ़ावा तथा कौशल विकास के माध्यम से कृषि/वानिकी/प्राकृतिक संसाधन आधारित माइक्रो/ग्राम उद्योगों की स्थापना जैसे कार्यकलापों को शामिल है।

*****

अनुलग्नक

'पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जनजातीय कल्याण स्कीमों ' के संबंध में श्री दिलीप साईकिया , सांसद द्वारा दिनांक 24.06.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 239 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	स्कीमों/कार्यक्रमों के नाम
1	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
2	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
3	अजजा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
4	अजजा के विद्यार्थियों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति (क) उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (पहले अनुसूचित जनजातीय के विद्यार्थियों के लिए उच्च् स्तरीय शिक्षा के रूप में जानी जाती थी) (ख) अध्येतावृति (पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृति योजना के रूप में जानी जाती थी)
5	अजजा के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
6	कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
7	अति संवेदनशील जनजातीय वर्ग (पीवीटीजी)
8	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान
9	जनजातीय उप-स्कीम (टीएसएस) को विशेष केंद्रीय सहायता(एससीए)
10	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान
11	जनजातीय वन उत्पाद/उपज के विकास तथा विपणन के लिए मूल्य श्रृंख्ला का विकास
12	राष्ट्रीय /राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
13	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)के माध्यम से लघु वन उत्पाद(एमएफपी) तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के विपणन हेतु तंत्र
14	अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय महोत्सव और अन्य

अनुलग्नक - II

'पूर्वोत्तार राज्यों' के लिए जनजातीय कल्यानण स्कीमोंसंबंध में श्री दिलीप साईकिया, सांसद द्वारा दिनांक 24.06.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 239 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों / कार्यक्रमों के तहत जारी / उपयोग की गई निधियों के स्कीम - वार ब्यौरे।

I. जनजाति उप-स्कीम (एससीए से टीएसएस) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत जारी निधियां (21.06.2019 तक)

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17			2017-18			2018-19	
		कुल निर्मुक्ति	प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	कुल निर्मुक्ति	प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	कुल निर्मुक्ति	प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2211.8300	शून्य
2	असम	3407.80	1930.57	1477.2340	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	मणिपुर	2260.00	2260.00	शून्य	3790.38	3790.38	शून्य	5442.4800	शून्य
4	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2739.2000	शून्य
5	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1220.0000	शून्य
6	नगालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3225.0000	शून्य
7	सिक्किम	1497.62	399.95	1097.67	5986.00	242.89	5743.11	शून्य	शून्य
8	त्रिपुरा	1345.76	1245.70	100.06	1649.77	1602.69	47.08	1294.3800	शून्य

(लाख रू. में)

II. भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) की स्कीम के तहत जारी निधियां।							
क्र.सं.	**राज्य**	**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**	
		निर्मुक्त निधि	**दर्ज उपयोगिता**	**निर्मुक्त निधि**	**दर्ज उपयोगिता**	**निर्मुक्त निधि**	**दर्ज उपयोगिता**
1.	अरुणाचल प्रदेश	6580.53	6580.53	8378.82	3324.68	12170.52	11887.57
2.	असम	844.12	618.82	शून्य	शून्य	3916.32	3916.32
3.	मणिपुर	1694.40	1694.40	2308.80	2308.80	5367.65	4147.45
4.	मेघालय	1576.21	536.36	3603.40	875.00	5129.79	5129.79
5.	मिजोरम	1927.49	1927.49	2504.41	2504.41	3507.71	3507.71
6.	नगालैंड	6368.00	6368.00	4434.11	शून्य	9194.49	7811.36
7.	सिक्किम	1147.00	1147.00	405.30	354.48	355.34	354.48
8.	त्रिपुरा	1280.99	1280.99	2040.99	706.59	2006.73	1300.27

(लाख रू. में)

III. अति संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम के तहत जारी निधि							
क्र.सं.	**राज्य**	**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**	
		निर्मुक्त निधि	**दर्ज उपयोगिता**	**निर्मुक्त निधि**	**दर्ज उपयोगिता**	**निर्मुक्त निधि**	**दर्ज उपयोगिता**
1.	मणिपुर	329.00	329.00	195.00	195.00	1157.55	शून्य
2.	त्रिपुरा	2250.00	2110.28	2305.00	1716.63	789.53	शून्य

IV. अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत निधियों का ब्यौरा।

(लाख ₹ में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2016-17**			**2017-18**			**2018-19 (31.03.19 तक)**	
		निर्मुक्त निधि	**उपयोग किया गया**	**लाभार्थी**	**निर्मुक्त निधि**	**उपयोग किया गया**	**लाभार्थी**	**निर्मुक्त निधि**	**उपयोग किया गया**
1	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	2594	शून्य	शून्य	3794		
2	असम	321.33	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2740		
3	मणिपुर	867.38	867.38	22401	619.09	619.09	9189	773.00	
4	मेघालय	शून्य	शून्य	3273	156.69	122.94	966		
5	मिजोरम	336.36	336.36	9843	132.25	132.25	9783	319.79	115.61
6	नगालैंड	शून्य	शून्य	18780	शून्य	शून्य	10715		
7	सिक्किम	शून्य	शून्य	297	25.72	25.72	212	7.97	1.11
8	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	16723	232.89	शून्य	11662		

V. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत जारी निधि और उपयोग की गई निधियों ब्यौरे।

(लाख ₹ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17			2017-18			2018-19 ((31.03.19 तक)	
		निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया
1	अरुणाचल प्रदेश	1136.32	1136.32	22564	5803.65	5803.65	18863	1883.82	1883.82
2	असम	266.65	266.65	29423	2516.48	2516.48	26867	3248.03	3248.03
3	मणिपुर	3385.20	3385.20	59995	6382.55	6370.06	59661	2026.76	654.56
4	मेघालय	3189.00	3189.00	54900	770.50	770.50	35305	2457.52	2070.98
5	मिजोरम	4267.52	4267.52	42072	2434.73	2434.73	51983	3528.21	2434.17
6	नगालैंड	1344.00	1344.00	44404	2515.00	2515.00	28949	4716.66	3715.98
7	सिक्किम	938.16	938.16	2605	1247.32	1247.32	2962	1134.36	163.36
8	त्रिपुरा	1323.90	1323.90	21001	2756.25	2756.25	23020	3626.55	610.65

VI. जनजातीय उत्पादों/ उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत सहायता :

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19
1	त्रिपुरा	351.10	201.48 (उ.प्र.प.प्रतीक्षित)	शून्य
2	मिजोरम	शून्य	174.00	696.00 (उ.प्र.प.प्रतीक्षित)

3	सिक्किम	शून्य	शून्य	219.00 (उ.प्र.प.प्रतीक्षित)

VII. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लधु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास:

(लाख रू. में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1	असम	200.00	200.00	3147.00
2	मणिपुर	शून्य	11.00	90.00
3	नगालैंड	शून्य	19.00	66.00

VIII. राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता:

(लाख रू. में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	5.00 उ.प्र.प.प्रतीक्षित	शून्य
2	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	300.00 उ.प्र.प.प्रतीक्षित

IX. अनुसूचित जनजातियों (पूर्वोत्तर) के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान-सहायता:

(लाख रू. में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1.	अरुणाचल प्रदेश	456.05	605.24	487.11
2.	असम	137.66	170.77	188.77
3.	मणिपुर	394.06	264.29	2016.19

4.	मेघालय	606.93	697.71	824.78
5.	मिजोरम	40.16	55.90	93.73
6.	नगालैंड	शून्य	30.80	18.04
7.	सिक्किम	52.05	90.81	85.01
8.	त्रिपुरा	66.02	32.62	57.72

X. कम साक्षरता जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा को सुदृढ़िकरण करना (पूर्वोत्तर):

क्र.सं.	**राज्य**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	**37.65**	शून्य

XI. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्कीम (पूर्वोत्तर):

(लाख रू. में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1.	असम	93.00	183.09	90.57
2.	मेघालय	शून्य	59.33	26.64
3.	नगालैंड	24.48	शून्य	27.12

XII. "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" स्कीम के तहत जारी / उपयोग की गई निधि .					
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**लंबित उपयोग प्रमाण पत्र**
1	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	647.99	253.01	246.99
2	असम	शून्य	183.65	198.75	31.50

3	मणिपुर	109	58	530.11	शून्य
4	मिजोरम	शून्य	शून्य	564.36	शून्य
5	नगालैंड	शून्य	शून्य	825.00	शून्य
6	सिक्किम	111	136	194.50	शून्य
7	त्रिपुरा	73.25	198.75	316.14	27.51
8	मेघालय	शून्य	शून्य	574.35	शून्य